नियम 35 व 50 के अन्तर्गत

राजस्थान सेवा नियमों के नियम ३५ व ५० के अन्तर्गत दोहरे कार्य भार की स्वीकृति हेतु

आवेदन पत्र

1. कार्यालय का नाम
2. पद का नाम जिसका अतिरिक्त कार्य सम्पादित किया गया है
3. अतिरिक्त कार्य करने की अवधि (कब से कब तक)
4. पद जिसका अतिरिक्त कार्य किया (पद रिक्त रहने के कारण/सृजित)
5. जिस व्यक्ति से चार्ज लिया गया उसका विवरण
   - नाम व पदनाम :
   - पद की योग्यता :
   - पद रिक्त रहने के कारण :
   - पद कब से रिक्त है पूर्व में किसी अन्य को कार्य सौंपा गया था या नहीं (सम्बन्धित आदेश की प्रमाणित प्रति, संख्या व दिनांक संलग्न करें)
6. जिस व्यक्ति ने अतिरिक्त कार्य किया, उसका विवरण
   - नाम व्यक्ति :
   - पद जिस पर वह कार्यरत है :
   - चार्ज दिलवाने का कारण :
   - क्या उस पद के योग्य था जिसका चार्ज लिया :
   - यदि नहीं तो किस कारण से चार्ज दिलवाया गया :
   - पद जिसका चार्ज लिया है उसमें वरिष्ठतम है यदि नहीं तो कारण :

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम पद व दिनांक

प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. इस आवेदन की स्वीकृति पूर्व में प्राप्त नहीं हुयी है तथा इसका भुगतान पूर्व में इस कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है।
2. श्री.....ने अपने पद के कार्य के साथ.....प द का अतिरिक्त कार्य दिनांक.....से.....तक सम्पादित किया।
3. इस अवधि में श्री.....ने उपार्जित अवकाश/परिवर्तित अवकाश का उपभोग किया अथवा नहीं?
4. इस अवधि में श्री.....ने उपरोक्त अवधि में आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकार का अवकाश नहीं लिया।
5. उक्त अवधि में.....का पद रिक्त रहा एवं इस पद के विरूद्ध किसी कर्मचारी को वेतन का भुगतान नहीं किया गया।
6. रिक्त हुए पद का चार्ज दो अथवा अधिक कर्मचारियों में नहीं बांटा गया।
7. यदि श्री.....को अधिक वेतन का संदाय किया गया तो वसूली योग्य होगा।
8. चार्ज रिपोर्ट एवं आदेशों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
9. प्राचार्य की टिप्पणी : श्री.....को राजस्थान सेवा नियम 35 व 50 के अन्तर्गत दिनांक.....से.....तक अपने पद के साथ.....के पद का कार्य सम्पादित करने के फलस्वरूप इन्हें इनके वेतन का.....प्रतिशत अधिदेय भत्ता स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है।

संलग्न प्रपत्र :

सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम पद

नोट : अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जिस अवधि में अतिरिक्त कार्य सम्पादित किया गया उस अवधि में पड़ने वाले ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय पर रूककर कार्य किया अथवा नहीं? यदि कार्य सम्पादित किया तो आर.एस.आर. नियम 92(बी) के तहत उपार्जित अवकाश का लाभ प्राप्त किया अथवा नहीं ? यदि ग्रीष्मावकाश अवधि में मुख्यालय पर रूककर कार्य किया है तो उन्हें दोनों लाभों में से केवल एक ही लाभ देय होगा। (नियम 35 व 50 के अन्तर्गत या 92(बी) के अन्तर्गत।)। विभाग में कार्यरत कर्मचारी जिनकी नियुक्ति आदि के लिए विभाग के बाहर के अधिकारी सक्षम है उन्हें वांछित आदेशों की प्रति प्रेषित की गयी है। इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करें।